प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को आवधिक रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस अधिनियम की धारा 7ए के तहत इस समीक्षा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी थी। एफआरबीएम अधिनियम की धारा 7ए के तहत बनाया गया नियम 8 यह प्रावधान करता है कि सीएजी वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ कर, एफआरबीएम अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करेंगे।

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का यह वर्तमान प्रतिवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुपालन पर सीएजी का तीसरा प्रतिवेदन है।

इस प्रतिवेदन में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों को उल्लिखित किया गया हैं जो 2016-17 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहाँ कहीं भी उपयुक्त है, 2016-17 से पहले की अवधि से संबंधित राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव वाले मामलों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न किया गया है।